नाम प्रपत्र – 2 फोन :- 9971910909

ईमेल फैक्स :- नहीं/निरंक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,बिलासपुर, छ.ग.

क्रमांक/ 11637 /अनुदान/मान्यता/2018-19 बिलासपुर, दिनांक 14.12.18

प्रति,

प्रबंधक, वर्ग,

महर्षि शिक्षा संस्थान

जिला–बिलासपुर, छ.ग. नई दिल्ली

विषय - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 18 के प्रयोजनों के लिए,निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र दिनांक 13.12.18 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त मैं महर्षि विद्या मंदिर अंगवा (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 13.12.18 से 13.12.21 तक 3 वर्षो की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो की पूरा किये जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8वीं के पश्चात् मान्यता /संबध्दन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट–एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009(परिशिष्ट–दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब कराएगा। परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12(2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या सरंक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अधयधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उनके आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–

(क) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं जायेगा।

(ख) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड एवं मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(ग) [illegible]